न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 02/2022

जीसीएमएस नम्बर : 2022/5

प्रार्थीः—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
सत्यनारायण शर्मा पुत्र भंवरलाल जाति गुर्जर गौड़ ब्राहम्ण, निवासी बगडीनगर, तहसील सोजत हाल निवासी 2 ब 8 हाउसिंग बोर्ड पाली तहसील पाली जिला पाली (राजस्थान)		1. बद्रीनारायण शर्मा पुत्र रामदयाल निवासी ग्राम पंचायत बगडीनगर पंचायत समिति सोजत तहसील सोजत जिला पाली 2. सरपंच ग्राम पंचायत बगडीनगर पंचायत समिति सोजत जिला पाली।

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल प्रजापत।

—: निर्णय :—

दिनांक : 17/03/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत बगडीनगर द्वारा प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 20.02.1999 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 556 दिनांक 20.02.1999 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 का संयुक्त कब्जा, स्वामित्व व रहवाससुदा पुराना नोहरा ग्राम बगडीनगर में आया हुआ है, जिसका क्षेत्रफल 381.12 वर्गमीटर क्षेत्रफल है। उक्त नोहरा पूर्व में स्व. बंशीलाल शर्मा द्वारा स्वअर्जित कर निर्माण करवाया था तथा वादग्रस्त नोहरा पर उनके उत्तराधिकारी पुत्रगण स्व. पुखराज, कन्हैयालाल, रामदयाल व भंवरलाल अपने जीवनकाल से ही रहवास करते थे। व्यापारिक कारणों से प्रार्थी अन्य स्थानों पर निवास करते है। अप्रार्थी ने जैर निगरानी पट्टे हेतु कोई आवेदन पेश नहीं किया। उक्त नोहरा पुश्तैनी होने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत ने केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया जबकि अन्य लोगों के बयान नहीं लिये गये। ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया, जिसे खारिज फरमावे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये सम्पूर्ण पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

अति. जिला कलैक्टर, पाली

जैर निगरानी ग्राम पंचायत बगडीनगर द्वारा प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 20.02.1999 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 556 दिनांक 20.02.1999 के विरूद्ध पेश की है। जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया है। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उसके साथ किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तुत ही नहीं किया गया और प्रार्थना पत्र कब प्रस्तुत किया गया, इस सम्बन्ध में भी किसी दिनांक का अंकन नहीं किया गया। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धि मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 23.06.1995, जो कि प्रथम आदेशिका थी, उसमें सचिव को नक्शा तैयार करने के आदेश जारी किये गये परन्तु उक्त नक्शे पर नक्शा बनाने वाले के हस्ताक्षर न होकर सरपंच के हस्ताक्षर है। आदेशिका दिनांक 14.11.1998, के द्वारा प्रस्तावित भूमि का तीन पंचों को मौका निरीक्षण किये जाने के आदेश जारी किये गये, किन्तु किन तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जायेगा, उन्हें नामित नहीं किया गया। साथ ही ग्राम पंचायत के बैठक कार्यवाही रजिस्टर में बैठक दिनांक 14.11.1998 में उक्त मिसल अंकित ही नहीं है और उक्त आदेशिका की दिनांक में भी कांट–छांट की गयी, जो प्रथमदृष्टया सन्देहास्पद प्रतीत होता है। आवेदक द्वारा नियम 145(3) के तहत स्थल निरीक्षण के व्यय पेटे 25/– रुपये जमा करवाये जाने थे, जो नहीं करवाये गये। इसके पश्चात नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146(3) "क से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु इस प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई और न ही पंचों के द्वारा पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में कोई राय कायम की गयी है, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है।

प्रकरण में गवाहों के बयान साइक्लोस्टाईल में है तथा सम्पूर्ण बयान एक निर्धारित प्रारूप में लिखे जाकर बयानकर्ता के नाम पश्चातवर्ती अंकित किये गये है, जो कि देखने मात्र से ही प्रथमदृष्टया कूटरचित प्रतीत होता है। प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, उसके सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में केवल गवाहों के हस्ताक्षर है उनकी वल्दियती अंकित नहीं है। हस्तगत प्रकरण में सम्पूर्ण प्रक्रिया यथा (प्रस्तावित भूमि का नक्शा, मौका निरीक्षण, आपत्ति इश्तिहार, गवाहों के बयान) अप्रार्थी बद्रीनारायण तथा रमेशचन्द्र, जगदीश प्रसाद, दिवाकर पुत्र रामदयाल शर्मा की पक्ष में की गयी है जबकि आवेदन केवल मात्र बद्रीनारायण शर्मा की ओर से प्रस्तुत किया गया है और जैर निगरानी पट्टा भी केवल मात्र ब्रदीनारायण शर्मा के पक्ष में जारी किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के

अति. जिला कलेक्टर, पाली

नियम 145 से 157 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टे विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वांरा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बगडीनगर द्वारा प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 20.02.1999 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 556 दिनांक 20.02.1999 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति एवं ग्राम पंचायत का अभिलेख, ग्राम पंचायत बगडीनगर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 17/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली